UPMP040156482026

न्यायालय Addl C.J.M, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Garima Singh) **- उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02423**

Criminal Misc. Cases/1685/2026

State Of U.P Vs. ramautar singh

अपराध संख्या-154/2026
धारा-115 (2),352,351(3)BNS,
थाना- घिरोर , जिला- मैनपुरी

राज्य बनाम रामौतार आदि

आदेश

18-06-2026

1. अभियुक्तगण रामौतार पुत्र गौतम सिंह की ओर से वाद अपराध संख्या -154/2026 अन्तर्गत धारा-115 (2),352,351(3)BNS थाना- घिरोर,जिला- मैनपुरी , के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये है ।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को उक्त मुकदमे में झूँठा फंसाया गया है । प्रार्थी के विरूद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है एवं उसे इलाका पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपराध जमानतीय है ।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अधार पर्याप्त है।

6. अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की एक-एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

प्रभारी अधिकारी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–1, मैनपुरी